न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 153/2016

बउनवान

हेमराज पुत्र बालचन्द कोली जाति–कोली, निवासी सुसावन बस्ती, बारां तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजमोहन गोयल, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 30.01.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 12.11.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–नियाना, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 507 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म बजंड पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 165/– रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में [illegible] कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकाड का सही [illegible] नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचारी बाबत [illegible] किया है। अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है। अपीलांट को [illegible] प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट का किसी [illegible] पर कब्जा नहीं और ना हीं उक्त प्रकरण में उसे विधिवत तामील [illegible] न्यायालय द्वारा केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर [illegible] गया है जो निरस्त योग्य है। अपील उचित शुल्क व जानकारी से अवधि मध्य पेश की गयी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2014 निरस्त [illegible] जावे।

2– इस [illegible] किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन [illegible] किया तथा [illegible] मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस की

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर तामील नहीं करायी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, कब्जा पूर्व से छोड रखा है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जॉच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है। अपीलांट के विरूद्व वर्तमान में कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 1078/13 निर्णय दिनांक 20.11.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड रखा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार, बारां द्वारा [illegible] 12.11.2014 से पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को [illegible] अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 894/14 में पारित [illegible] 2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ [illegible] अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दे तथा तहसीलदार, बारां [illegible] माह में उपस्थित होकर अण्डरटेकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 12.11.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2015 को [illegible] इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह [illegible])
जिला कलक्टर बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official